

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (13)

मैनुअल संख्या-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

मैनुअल-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

1. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण
2. दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए
 - क. पात्रता मानदंड
 - ख. रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया
 - ग. रियायतें/परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता
 - घ. रियायतें/प्राधिकरण परमिट प्रदान करने की तिथि

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) एक निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सम्बन्धी कम्पनी है तथा इसके कार्यों की प्रकृति के अनुसार किसी को भी छूट, अनुदान, परमिट या प्राधिकारिता प्रदान नहीं की गई है।